

116
①

> अनुभव प्रमाण पत्र, सम्बन्धित ग्राम पंचायत के ग्राम प्रधान/सरपंच के लेटर हेड पर जारी किया जाना है।

अनुभव प्रमाण पत्र

में, रेनु तिवारी (ग्राम प्रधान/सरपंच का नाम),
ग्राम प्रधान/सरपंच- ग्राम पंचायत बरसडा विकास
खंड: भदैया जनपद सुल्तानपुर
..... प्रमाणित करता/करती हूँ कि श्री/श्रीमती
मनीष तिवारी (उम्मीदवार का नाम), पुत्र/पुत्री श्री/श्रीमती
राज कुमार तिवारी (पिता/माता का नाम), निवासी
बरसडा (ग्राम पंचायत का नाम), जिसका
आधार संख्या 5104 0713 9753 (आधार संख्या) है, ने हमारी
ग्राम पंचायत बरसडा में पेयजल वितरण प्रणाली के संचालन/प्लंबिंग
और रखरखाव में न्यूनतम 2 वर्षों तक कार्य किया है।

में प्रमाणित करता/करती हूँ कि उपरोक्त सभी प्रविष्टियाँ मेरे ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य हैं।
यदि मेरे द्वारा उपलब्ध कराये गये उपरोक्त तथ्य किसी भी समय एवं स्तर पर असत्य/गलत पाये
जाते हैं तो इस सम्बन्ध में विधि एवं नियमों के अधीन मेरे विरुद्ध की जाने वाली कार्यवाही के लिए
मैं स्वयं उत्तरदायी रहूँगा/रहूँगी।

दिनांक:



ग्राम प्रधान/सरपंच का नाम
(ग्राम पंचायत)